बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संऺसं०–9 / आ०–03–70 / 2024(स्वा०)........................... /   पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० शालिनी कुमारी, सहायक प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध वैश्विक महामारी के दौरान विभागीय पत्राक–225(3) दिनांक–17 03.2021 द्वारा सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किए जाने के बावजूद शिशु देख–भाल का आवेदन देकर दिनांक–21.12.2020 से 04.04.2021 तक अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय सकल्प सं०–867(9) दिनांक–29.07.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–141(9) दिनांक–05.02.2026 द्वारा डॉ० कुमारी से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

3. डॉ० कुमारी द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत करायी गयी है कि उनके द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान बच्चे की पढाई के उद्देश्य के लिए तीन माह के लिए शिशु देखभाल का आवेदन प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर के समक्ष समर्पित की गयी। उनके 10 वर्षीय बेटे का तबीयत खराब रहने के कारण 15 (पन्द्रह) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश विस्तार करने का आवेदन दिया गया था।

4. 'अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डॉ० कुमारी के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को संतोषप्रद नहीं मानते हुए डॉ० कुमारी के विरूद्ध वैश्विक महामारी के दौरान सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किये जाने के बावजूद बिना शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत कराये दिनाक–21.12 2020 से 04.04 2021 तक अवकाश पर रहने के आरोप मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना तीन (03) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉ० शालिनी कुमारी, सहायक प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध वैश्विक महामारी के दौरान विभागीय पत्रांक–225(3) दिनांक–17.03.2021 द्वारा सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किए जाने के बावजूद बिना अवकाश स्वीकृत कराये शिशु देख–भाल हेतु दिनांक–21.12.2020 से 04.04.2021 तक अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना तीन (03) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

27/02/2026

(15)

ज्ञापांक–9/आ0–03–70/2024(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः–**..................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–70/2024(स्वा0) 807(9) **/पटना, दिनांकः–** 27.07.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ प्राचार्य /अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० शालिनी कुमारी, सहायक प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/07/2024
सरकार के अवर सचिव।